

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/154513/KPN/KANPUR NAGAR/4131/CFO
दिनांक: 24-04-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SUGHAR SINGH ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO 288, 333, 330, 332, 298 AT KARRAHI ROAD, KHANDEPUR BARRA, Kanpur Nagar** तहसील - **sadar**, प्लॉट एरिया **3664 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2771** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
Building Block	4	0	20.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SUGHAR SINGH ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-04-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Shravan Singh** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-05-2025** से **30-04-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUGHAR SINGH ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUGHAR SINGH ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : Operational Since Long, NOC is issued as per NBC-2016& DGFS Circular on 14.03.24 for (G+3) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO K-3& Affidavit:
1.To Maintain Fire & Life Safety/Smoke Management System as per the Norms Always.
2.To Comply for Bye Laws as per KDA Approval &The Drawing Approval is Mandatory from KDA.
3.FSSO will do Continuous & Close Monitoring for Provisions of F&ES Rules 2024 and will be RESPONSIBLE for any deviation, If found, during the Site Inspection by Higher Authorities any time.
4.The Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation as per the above Conditions.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **01-05-2025**
स्थान : **KANPUR NAGAR**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)
Digitally Signed By
(DEEPAK SHARMA)

Principal
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)

Manager
Sughar Singh Academy
Khandepur, Karrahi Road, Barra
Kanpur-208027 (U.P.)